चित्रकूट-पुलिस

(1). नारी सुरक्षा, नारी सम्मान, नारी स्वालंबन, महिला सशक्तिकरण, महिला कल्याण एवं बाल विकास के प्रति चलाये जा रहे "मिशन शक्ति अभियान-4" के तत्वाधान में जनपद के समस्त थानों की एण्टी रोमियों टीमों/''शक्ति दीदी'' द्वारा विभिन्न सार्वजनिक स्थल एवं ग्रामों में भ्रमण कर महिला एवं बालिकाओं को महिला सुरक्षा सम्बन्धी उपायों के प्रति जागरुक किया गया।

"मिशन शक्ति अभियान-4" व ''शक्ति दीदी'' अभियान के तहत आज दिनांक 04.03.2026 को पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरूण कुमार सिंह के निर्देशन में जनपद में नोडल अधिकारी मिशन शक्ति क्षेत्राधिकारी राजापुर श्रीमती निष्ठा उपाध्याय के पर्यवेक्षण में समस्त थाना क्षेत्रो में एण्टी रोमियों टीमों द्वारा विभिन्न सार्वजनिक स्थलों एवं ग्रामो में भ्रमण किया गया । महिलाओं/बालिकाओँ को "मिशन शक्ति" व ''शक्ति दीदी'' के सार्वजनिक स्थलो जैसे-चौराहे, बाजारों को असामाजिक तत्वों से मुक्त कराये जाने तथा महिलाओ एवं बालिकाओं के साथ राह चलते छेडखानी, अभद्रता, अश्लील प्रदर्शन तथा अभद्र टिप्पणियाँ इत्यादि की घटनाओं को रोकने के लिये जागरुक किया गया तथा महिला/बालिकाओं को सुरक्षा संबंधित सेवाएँ जैसे यू0पी0-112 नम्बर/वूमेन पावर लाइन 1090/यूपी कॉप एप/181 महिला हेल्प लाइन/1076 मुख्यमंत्री हेल्प लाइन/1098 चाइल्ड हेल्प लाइन/102 स्वास्थ्य सेवा/108 एम्बूलेन्स सेवा/1930 साइबर हेल्पलाइन के बारे में जानकारियां दी गई । इस दौरान उपस्थित महिलाओं/बालिकाओं को अवगत कराया गया कि सभी थानों में महिलाओ की सुरक्षा/सहायता हेतु एक महिला हैल्पडेस्क बनाया गया है, जहाँ पर महिला पुलिसकर्मी द्वारा महिलाओं की शिकायत सुनी जाती है तथा समय से उनका निस्तारण किया जाता है । इसके साथ ही मौजूद महिलाओं/बालिकाओं को महिला सुरक्षा सम्बन्धी चलायी जा रही हेल्पलाइन नम्बरों के सम्बन्ध में पंपलेट वितरित करते हुए विस्तार से जानकारी देने के साथ ही सभी महिलाओं/बालिकाओ को हेल्पलाइन नम्बर का निर्भीक होकर उपयोग करने हेतु तथा महिलाओ को आत्मनिर्भर बनने व निर्भीक होकर अपने अपने क्षेत्र में कार्य करने/शिक्षा ग्रहण करने के लिये प्रेरित किया गया तथा सोशल मीडिया पर अपनी प्राइवेसी रखते हुये उसका प्रयोग करने के लिये कहा गया । इसी क्रम में महिलाओं/बालिकाओ को जनपद में गठित "एंटी रोमियो स्क्वायड" टीम के बारे में अवगत कराया गया तथा बताया गया कि सादे वस्त्रों में तथा प्राइवेट वाहनों से सार्वजनिक स्थलों यथा- स्कूल, कालेज व कोचिंग संस्थान के आसपास व ऐसे स्थान जहाँ पर महिलाओ एवं बालिकाओ का अधिकतर आवागमन होता है उनको भौतिक रुप से चिन्हित कर शोहदो/मनचलो के द्वारा Eve Teasing इत्यादि आपत्तिजनक हरकतो को रोकने के उद्देश्य से सघन चैकिंग कर लोगो से पूछताछ की जाती है व अनावश्यक रुप से मौजूद शोहदो/मनचलो को हिदायत/कार्यवाही की।

(2). "शव की शिनाख्त"

सर्व संबंधित को सूचित किया जाता है कि एक व्यक्ति नाम पता अज्ञात उम्र करीब 33 वर्ष का शव रेलवे लाइन के किनारे मौजा भंभई चौकी शिवरामपुर थाना कोतवाली कर्वी में प्रेमचंद्र के पुराने सूखे कुएं में फांसी के फंदे से लटका मिला जिसका सर फंदे से बंधा है तथा धड़ नीचे कुंये मे गिरा हुआ मिला जो लगभग 1 माह पुराना प्रतीत हो रहा है। जिसने क्रीम रंग की चेकदार शर्ट एवं नीले रंग का जीन्स पहना है। यदि इस व्यक्ति के संबंध में किसी को कोई जानकारी प्राप्त हो तो निम्न नंबर पर सूचित करने की कष्ट करे।

प्रभारी निरीक्षक कोतवाली कर्वी चित्रकूट -9454403205,9305101117
चौकी प्रभारी शिवरामपुर- 9454403212,9305101098

🚨 प्रेस नोट-चित्रकूट पुलिस 🚨
08 अभियुक्तों से 208 अदद क्वार्टर अवैध देशी व 10 लीटर अवैध कच्ची शराब महुआ बरामद

पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के निर्देशन में अवैध शराब के निर्माण/बिक्री की रोकथाम हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में चित्रकूट पुलिस ने 08 अभियुक्तों को 208 अदद क्वार्टर अवैध देशी व 10 लीटर अवैध कच्ची शराब महुआ के साथ गिरफ्तार किया।

(i). चौकी प्रभारी सीतापुर श्री यदुवीर सिंह मय हमराही आरक्षी अनुज यादव,आरक्षी नागेश थाना कोतवाली कर्वी द्वारा अभियुक्त जगदीश उर्फ जग्गू पुत्र मोहनलाल निवासी सतना बस स्टैण्ड के पास जनपद सतना म0प्र0 को 01 प्लास्टिक की पिपिया में 10 लीटर अवैध कच्ची शराब महुआ के साथ गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध थाना कोतवाली कर्वी में धारा 60 आबकारी अधिनियम के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया।

(ii). उ0नि0 श्री प्रभाकर उपाध्याय ,उ0नि0 श्री दिनेश कुमार पाण्डेय मय हमराह मुख्य आरक्षी नूर मोहम्मद थाना बहिलपुरवा जनपद चित्रकूट द्वारा अभियुक्त राजेश कुमार पुत्र स्व0 फूलचन्द्र निवासी गोंडा थाना बहिलपुरवा जनपद चित्रकूट को एक थैले में 19 अदद क्वार्टर देशी शराब नाजायज के साथ गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के विरूद्ध थाना बहिलपुरवा में धारा 60 आबकारी अधिनियम के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया।

(iii). उ0नि0 श्री राजेश कुमार चौरसिया, उ0नि0 श्री सुरेश सिह मय हमराह मुख्य आरक्षी कल्लू खां, महिला आरक्षी रीना यादव थाना बहिलपुरवा द्वारा अभियुक्त महेन्द्र कुमार पुत्र अवधेश कुमार निवासी बडी मडैयन थाना बहिलपुरवा जनपद चित्रकूट को एक झोले में 18 अदद क्वार्टर अवैध देशी शराब के साथ गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के विरूद्ध थाना बहिलपुरवा में धारा 60 आबकारी अधिनियम के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया।

(iv). चौकी प्रभारी गनीवा श्री अनिल कुमार गुप्ता मय हमराह आरक्षी रामकेश, आरक्षी राहुल दीक्षित थाना राजापुर द्वारा अभियुक्त 1.किशोर कुमार पुत्र कल्लू निवासी बक्टा बुजुर्ग थाना पहाड़ी को 24 अदद देशी क्वार्टर 2.वीरेन्द्र सिहं पुत्र कुबेर निवासी प्रसिद्धपुर थाना पहाड़ी जनपद चित्रकूट को 45 अदद देशी क्वार्टर नाजायज शराब के साथ गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के विरूद्ध थाना राजापुर में धारा 60 आबकारी अधिनियम के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया।

(v). उ0नि0 श्री अतेन्द्र सिंह चौहान मय हमराह आरक्षी कामता थाना भरतकूप द्वारा अभियुक्त शिबवरन पुत्र लल्लू निवासी दुगवां थाना भरतकूप जनपद चित्रकूट को 28 पाउच अवैध देशी शराब के साथ गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के विरूद्ध थाना भरतकूप में धारा 60 आबकारी अधिनियम के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया।

(vi). उ0नि0 श्री श्याम देव सिंह मय हमराही आरक्षी मृत्युन्जय पाण्डेय थाना पहाड़ी द्वारा अभियुक्त मनोज यादव पुत्र रामबाबू निवासी सिकरी मोड़ थाना पहाडी जनपद चित्रकूट को 14 पाउच अवैध देशी शराब के साथ गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के विरूद्ध थाना पहाड़ी में धारा 60 आबकारी अधिनियम के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया।

(vii). उ0नि0 श्री सुभाष सिंह चौहान मय हमराह आरक्षी अजीजउद्दीन थाना मानिकपुर द्वारा अभियुक्त महेन्द्र प्रताप सिंह पुत्र स्व0 शिवबहादुर निवासी सिगवां कोटा कदैंला थाना मानिकपुर जनपद चित्रकूट को 60 पाउच अवैध देशी शराब के साथ गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के विरूद्ध थाना मानिकपुर में धारा 60 आबकारी अधिनियम के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया।

🚨 प्रेस नोटः-चित्रकूट पुलिस 🚨

थाना सरधुवा पुलिस टीम ने जान से मारने की नियत से फायर करने के आरोपी अभियुक्त को 01 अदद अवैध तमंचा 315 बोर व 02 अदद जिंदा कारतूस 315 बोर के साथ गिरफ्तार किया

पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के कुशल निर्देशन में अपराध पर अंकुश लगाने हेतु अपराधियों के विरुद्ध की जा रही कार्यवाही के क्रम में प्रभारी निरीक्षक थानाध्यक्ष सरधुवा श्री रामसिंह के मार्गदर्शन में उ0नि0 श्री अजहर जमाल व उनकी टीम द्वारा द्वारा जान से मारने की नियत से फायर करने के आरोपी अभियुक्त को 01 अदद अवैध तमंचा 315 बोर व 02 अदद जिंदा कारतूस 315 बोर के साथ गिरफ्तार किया।

संक्षिप्त विवरण-

उल्लेखनीय है कि दिनांक 03.03.2026 को वादी शिवा पुत्र रामप्रकाश निवासी बरहर पुरवा मजरा सुरवल द्वारा थाना सरधुवा में तहरीरी सूचना दिया कि की वह देवारी पुलिया थाना सरधुवा के पास से जा रहे थे कि अभियुक्त नथन सिंह पुत्र बडकू निवासी देवारी थाना सरधुवा द्वारा उनके ऊपर जान से मारने की नियत सें अवैध असलहे से फायर कर दिया। सूचना पर थाना सरधुवा में मु0अ0स0 34/26 धारा 109 बीएनएस बनाम नथन सिंह उपरोक्त पंजीकृत किया गया। आज दिनांक 04.03.2026 मुखबिर की सूचना पर अभियुक्त नथन सिंह उपरोक्त को उ0नि0 अजहर जमाल व उनकी टीम द्वारा ग्राम जालन्धर पुरवा जाने वाली सड़क थाना सरधुवा के पास से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के कब्जे से 01 अदद अवैध तमंचा 315 बोर व 02 अदद जिंदा कारतूस 315 बोर बरामदगी के आधार पर धारा 3/25 आर्म्स एक्ट की बढोत्तरी की गयी।

बरामदगीः-

01 अदद देशी तमंचा 315 बोर

02 अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर

गिरफ्तारी करने वाली टीम-

1.उ0नि0 श्री अजहर जमाल

2.उ0नि0 अनन्त कुमार तिवारी

3.आरक्षी हरेन्द्र कुमार

चौकी प्रभारी जिला अस्पताल सोनेपुर कर्वी चित्रकूट 7417459845

जो दिनाक 21/02/2026 समय करीब 8.30 बजे रात्रि संयुक्त जिला चिकित्सालय गेट के सामने आसपास के लोगों से पूछताछ के दौरान पाया कि उक्त व्यक्ति की मृत्यु ऊपर से गिरने के आई चोट के कारण हुई है यदि इस व्यक्ति के संबंध में किसी को कोई जानकारी प्राप्त हो तो निम्न नंबर पर सूचित करने की कष्ट करे।
प्रभारी निरीक्षक कोतवाली कर्वी चित्रकूट 9454403205
चौकी प्रभारी जिला अस्पताल सोनेपुर कर्वी चित्रकूट 7417459845

महोदय सादर अवगत कराना है कि आज दिनांक 03/03/2026 को पूर्व ग्राम प्रधान कल्ला के द्वारा जरिए दूरभाष द्वारा बताया गया की रेलवे लाइन के किनारे मौजा भंभई के प्रेमचंद्र के पुराने सूखे कुएं में एक अज्ञात शव फांसी के फंदे से लटका है जिसका सर फंदे से बंधा है तथा धड़ नीचे कुंये मे गिरा हुआ है लगभग 1 माह पुराना प्रतीत हो रहा है जिसको चौकी शिवरामपुर पुलिस के द्वारा अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है व फील्ड यूनिट को सूचना दे दी गई है लॉ एंड ऑर्डर की कोई समस्या नहीं है।